

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-15/2023

Dated: Shimla-171 002, the

12/06, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 0.86 ha of forest land in favour of Director Agriculture, Krishi Bhawan, Boileaugang, Distt. Shimla for the construction of Sub Market Yard (Sabji Mandi) Bagsaid at Sunas, within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Others/118361/2021)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: FC/HPB/09/40/2022, दिनांक 22.03.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.86 है० वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1720 पौधों के पौधारोपण कार्य PF Raingalu, Block/Beat/Survey Sheet No. Bagsaid/Raindhar/C1/53E/2/SE, Seraj Forest Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
4. वन विभाग, हि०प्र० माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेड़ों की लागत जमा की जाएगी।
7. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**
8. Since Soil and Moisture Conservation Plan is yet not prepared by the State Government and lump sum amount of 0.5% has been deposited in CAMPA, therefore, HP Forest Department shall ensure that Soil and Moisture Conservation Plan will be prepared and deficit amount as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on forest area. The copy of compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India, Shimla.
9. वन विभाग, हि0प्र0, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain किया जाए।
10. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

12. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
13. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

-4-

23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 12/06/2023

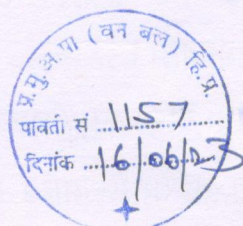
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Director, Agriculture, Himachal Pradesh, Krishi Bhawan, Boileauganj, District Shimla, H.P.
5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
6. The Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi H.P.
7. Divisional Forest Officer, Nachan Forest Division, District Mandi, H.P.
8. Guard File.

DEO(FCA)

14/6/2023
APCCF FCA

Recd HoFF
13/6/23



(Signature)

(C.P. Verma, IAS)

Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887
